



राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Rajasthan

बादरसिंदरी, रा.रा. सं. 8, जिला अजमेर - 305817, राजस्थान
Bandar Sindri, N.H.-8, Dist-Ajmer-305817, Rajasthan

सं.: राकेवि/आर/एफ.112/2019/1682

दिनांक: 31/07/2019

कार्यालय आदेश

(आंतरिक समिति : सत्र 2019-20)

सभी संबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि सत्र 2019-20 हेतु राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय विद्यार्थी शिकायत निवारण समिति (सीयूराज-एसजीआरसी) का गठन निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए किया जाता है :

क	सम-कुलपति / अधिष्ठाता/ संस्थान के वरिष्ठ आचार्य - अध्यक्ष	प्रो. नीरज गुप्ता
ख	अधिष्ठाता, विद्यार्थी / अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण	प्रो. प्रवीन साहू, अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण
ग	अध्यक्ष के अतिरिक्त एक वरिष्ठ शिक्षक - सदस्य	प्रो. एस. के. पांडा
घ	कुलानुशासक / वरिष्ठ शिक्षक - सदस्य	प्रो. अमित कुमार गोयल, कुलानुशासक
ड.	शैक्षणिक मेधा/खेल में उत्कृष्टता/ पाठ्येत्तर गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर कुलपति द्वारा नामित संस्थान का एक विद्यार्थी - विशेष आमंत्रित	सुश्री शिवांशी शर्मा 2018IMSBC021

- सीयूराज-एसजीआरसी की बैठक की गणपूर्ति (कोरम) में अध्यक्ष सहित, परंतु विशेष आमंत्रित सदस्य को छोड़कर, तीन सदस्य होंगे।
- सीयूराज-एसजीआरसी शिकायत पर विचार करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करेगी।
- शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 15 कार्य दिवस के भीतर सीयूराज-एसजीआरसी अपनी संस्तुति, यदि हो, के साथ रिपोर्ट कुलपति महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी तथा पीड़ित विद्यार्थी को इसकी प्रति देगी।

यह आदेश पूर्व में जारी कार्यालय आदेश सं. CURAJ/R/F.112/2019/1648 दिनांक 26.07.2019 को अधिक्रमित करता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

काशेवरराव
कुलसचिव

सेवा में,

सभी संबंधित सदस्य